निरीक्षण आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर **के** अवधि **04/2014 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार गर्ग, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री** एफ.आर. खान, वरिष्ठ **लेखापरीक्षक द्वारा श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में** दिनांक 19.09.2016 से 27.09.2016 तक **सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रापमप्रीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 24.12.14 से 01.01.15 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 2010–11 से 2013–14 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह अप्रैल 2014 से माह अगस्त 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी **का पदभार संभाले रखा।**

ब. अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.	भाग-दो (अ)	भाग-दो (ब)	स्टैन
2014-15	139	शून्य	01, 02, 03	-

स. सतत् अनियमितताये - शून्य

द. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) - शून्य

द. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	मद का निाम	वित्तीय वर्ष		
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**
1	प्रारम्भिक अवशेष			
2	वर्ष में प्राप्तियां			
	अ. केन्द्रांश	शून्य	शून्य	शून्य
	ब. राज्यांश	शून्य	शून्य	शून्य
	स. अन्य जिला योजना	शून्य 49.50	शून्य 259.225	शून्य 214.16
3	कुल योग	49.50	259.225	214.16
4	कुल व्यय	49.50	259.225	214.16
5	अन्तिम अवशेष	शून्य	शून्य	शून्य

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1: वित्तीय नियमों का उल्लघंन कर शासकीय धनराशि पर प्राप्त ब्याज की राशि बैंक खाते में अवरूद्ध रखना : ` 15.37 लाख।

शासनादेश संख्या–99/XXVII (14)/2009 दिनांक 3 सितम्बर, 2009 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में लेखाशीर्षक 0049–ब्याज प्राप्तियां, 800–अन्य प्राप्तियों, 12–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त धनराशि एवं उस धनराशि को बैंक में रखे जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014–15 से लेखापरीक्षा तिथि तक अर्जित ब्याज की धनराशि ` 15,37,061.00 बैंक खाते में अवरूद्ध रखी गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है–

वर्ष		**बैंक में जमा ब्याज की राशि**
2014–15		5,45,189.00
2015–16		7,53,803.00
2016–17		2,38,069.00
(अगस्त 2016 तक)	**कुल**	**15,37,061.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा बैंक खाते में जमा धनराशि के सम्बन्ध में पेयजल मुख्यालय, देहरादून को पत्र प्रेषित करने का उत्तर दिया गया।

अतः विगत 02 वित्तीय वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी अर्जित ब्याज की धनराशि ` 15,37,061.00 बैंक खाते में अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल विकास एवं निर्माण निगम, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)